UPSB010048972022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र
पीठासीन–अशोक कुमार यादव–I, एच.जे.एस.,UP05607

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2332/2022

आनन्द उर्फ बाबू पुत्र गनेश प्रसाद, निवासी ग्राम खटौली, थाना–रॉबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

1. आवेदक **आनन्द उर्फ बाबू** के जमानत प्रार्थना पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता श्री राम बृक्ष तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय को सुना तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

2. आवेदक **आनन्द उर्फ बाबू** अ.सं.–709/2022 अंतर्गत धारा– 356, 379, 411 भा.दं.सं., थाना–रॉबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र में अभियुक्त है।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में अभिकथन है कि आवेदक को झूंठा, गलत व अवैध तरीके से संलिप्त किया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात यह कहा गया है कि अभियोजन कथानक असत्य, गलत, बनावटी, काल्पनिक व मनगढ़ंत है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराई गई है। उसका कथित घटना से कोई वास्ता–सरोकार नहीं है। उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वह कई दिनों से जिला कारागार में निरूद्ध है जिससे उसके परिवार के समक्ष भरण–पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उनका कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के पिता जय प्रकाश द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का तर्क प्रस्तुत किया जबकि विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने आवेदक के कब्जे से बरामदगी व आवेदक के अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया गया है।

5. मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट का सम्यक परिशीलन किया जिसमें यह कहा गया है कि दिनांक–04.09.2022 को 17.00 बजे वादिनी निकिता राय अपने परिजनों के साथ डाला से रॉबर्ट्सगंज ऑटो से आ रही थी कि आर.टी.ओ. ऑफिस से हॉस्पिटल के बीच में पल्सर गाड़ी ब्लैक कलर से 2 लोग चलती हुई

ऑटो से उसका बैग झपट्टा मारकर खींचकर भाग गये जिसमें दो मोबाइल ढाई हजार रूपये था। मोटर साइकिल का नंबर–यू.पी.64ए.एस./0241 था। अतः वादिनी ने उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा आवेदक के कब्जे से उक्त चोरी का सामान बरामद किया।

6. केस डायरी के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि आवेदक को वादिनी पर हमला व आपराधिक बल का प्रयोग कर उसका बैग छीनकर भागने का आरोप है जो दौरान विवेचना पुलिस द्वारा आवेदक के कब्जे से बरामद होना बताया गया है। अपराध अधिकतम 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय हैं। आवेदक के आपराधिक इतिहास में वर्णित मुकदमों में किसी मामले में उसे दोषसिद्ध किया गया हो, ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक कई दिनों से जिला कारागार में निरूद्ध है।

7. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, अपराध की प्रकृति, दंड की मात्रा तथा अभियुक्त की कारागार में निरूद्धि की अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। तद्नुसार आवेदक का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदक **आनन्द उर्फ बाबू** का अ.सं.–709/2022 अंतर्गत धारा–356, 379, 411 भा.दं.सं., थाना–रॉबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2332/2022 स्वीकार किया जाता है। आवेदक को उक्त प्रकरण में रु.50,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू बंध पत्र सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक बंध पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
2. आवेदक विचारण के प्रारंभ की अवस्था, आरोप विरचित होने के दिनांक एवं धारा–313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण के दिनांक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. आवेदक वर्तमान मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन इस प्रकार का नहीं देगा कि अवगत होने वाला व्यक्ति न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करे।
4. आवेदक साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
5. जो अभियोग आवेदक पर लगाया गया है, वैसा ही अन्य कोई अपराध नहीं करेगा।

दिनांक–21.10.2022

(**अशोक कुमार यादव–I**)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र

Digitally signed by Ashok Kumar Yadava I
Date: 2022.10.21 18:03:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Sonbhadra